



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
कोच्चिन, COCHIN



केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

फा.सं.॥ /39/9/2015 -हिन्दी /के.उ.शु.

तारीख/Date: 12.12.2017

सेवा में/ To

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य,
केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवा कर आयुक्तालय,
कोच्चिन-18

All the members of the O L I C,
Central Excise & Customs Commissionerate,
Cochin-18.

महोदय/महोदया/ Sir/Madam,

विषय: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 10.10.2017 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

Sub: Minutes of the quarterly Meeting of the Official Language Implementation Committee held on 10.10.2017.

केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवा कर प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोच्चिन-18 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 10.10.2017 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए इस के साथ संलग्न है। सभी संबंधित अधिकारियों से अनुरोध है कि समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

Kindly find enclosed a copy of the minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee (OLIC) of the Office of the Principal Commissioner of Central Excise & Customs, Cochin-18 held on 10.10.2017. All concerned Officers are requested to take necessary action to ensure the compliance of the decision taken by the Committee.

भवदीय/Yours faithfully,

अमरनाथ केसरी/AMARNATH KESARI

संयुक्त आयुक्त(का.व सत.)/JOINTCOMMISSIONER[P&V]

प्रतिलिपि /Copy to:

1. महा निदेशक, निष्पादन प्रबंधन महा निदेशालय, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, इन्द्र प्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।

The Director General, Directorate Performance Management, Customs, Central Excise & Service Tax, "D" Block, I P Estate, New Delhi - 2.

2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क। केन्द्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस रोड, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र ।

The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise & Customs, C.R.Building, I.S.Press Road, Thiruvananthapuram Zone.

3. प्रधान आयुक्त के निजी सचिव/ सभी अनुभाग प्रमुख/ मण्डल कार्यालय
P.S to Principal Commissioner/ All Section Heads/ Divisions

4. सभी केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त

All the Commissioner's of Central Tax & Central Excise.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
कोच्चिन, COCHIN

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोच्चिन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 10.10.2017 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

Minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Principal Commissioner of Central Excise, Customs and Service Tax, Cochin held on 10.10.2017

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोच्चिन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 10.10.2017 को अपराह्न 03.00 बजे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर प्रधान आयुक्त श्री पुल्लेला नागेश्वरा राव की अध्यक्षता में आयुक्तालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई।

The quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Principal Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Cochin was convened on 10.10.2017 at 03.00 pm under the Chairmanship of Shri Pullela Nageswara Rao, Principal Commissioner of Central Excise, Customs and Service Tax, Cochin in the Conference Hall of the Commissionerate. The following members attended the meeting.

क्र.सं S.No.	अधिकारी का नाम Name of the Officer	पदनाम Designation	अनुभाग /मंडल Section/Division
1	डॉ टिजु टी. Dr.Tiju T.	अपर आयुक्त Addl.Commissioner	मुख्यालय Hqrs.
2	श्री अमरनाथ केसरी Shri Amarnath Kesari	संयुक्त आयुक्त (का.व सत.) Joint Commissioner(P&V)	मुख्यालय Hqrs.
3	श्री बी जी कृष्णन Shri B.G.Krishnan	संयुक्त आयुक्त Joint Commissioner	मुख्यालय Hqrs.
4	श्री सी.डी.जोस Shri C.D.Jose	सहायक आयुक्त (का.व सत.) Assistant Commissioner (P&V)	मुख्यालय Hqrs.
5	श्रीमती उमा देवी बी Smt.Umadevi B.	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	तकनीकी,मु. Technical,Hqrs.
6	श्री वी.बी.सुब्रमोनियन Shri V.B.Subramonian	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	जन सूचना अधिकार,मु. RTI,Hqrs.

7	श्री जिम्मी जोसफ Shri Jimmi Joseph	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	निवारक,मु. Preventive,Hqrs.
8	श्री आश्विन जॉन जॉर्ज Shri Ashwin John George	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	एर्णाकुलम मंडल Ernakulam Dvsn.
9	श्रीमती सुनयना कृष्णन Smt. Sunayana Krishnan	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	आलुवा मंडल Aluva Dvsn.
10	एम् विनुता M.Vinuta	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	काक्कनाड मंडल Kakkanad Dvsn.
11	श्रीमती सरस्वती राममोहन Smt. Saraswathy Rammohan	अधीक्षक(गोपनीय) Superintendent(Cfdl.)	मुख्यालय Hqrs.
12	श्रीमती रोसेलिंड जोस थॉमस कोरुत Smt. Rosalind Jose Thomas Koruthu	कनिष्ठ अनुवादक Junior Translator	मुख्यालय Hqrs.

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और बैठक आरंभ की।

The Chairman welcomed all the members of the Committee and commenced the meeting.

I पिछली बैठक के निर्णयों पर कार्रवाई / Action taken on the decisions of the last meeting.

- a. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। Documents coming under section 3(3) of OL Act,1963 should be issued only in bilingual form:

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजात जैसे कि स्थापना आदेश, परिपत्र, अधिसूचनाएं, सूचनाएं आदि 'हिन्दी रूपांतर बाद में' लगाकर जारी होते हैं और एक प्रति हिन्दी अनुभाग में अनुवाद के लिए भेज देते हैं और उसे अनुवाद के बाद हिन्दी अनुभाग वापस कर देता है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है कि भविष्य में भी इसे सख्ती से पालन किया जाए।

The documents coming under section 3(3) of OL Act, 1963 like establishment orders, circulars, notifications, notices etc were issued with 'Hindi version follows' and one copy was sent to Hindi Section and the same was translated and given back by the Hindi Section. The Chairman directed that the same may be strictly followed in future too.

कार्रवाई: प्रशासनिक अधिकारी(मु.), प्रशासन, तकनीकी,न्यायनिर्णयन, सतर्कता अनुभागों के
अधीक्षक, जन संपर्क अधिकारी, कनिष्ठ अनुवादक

**Action: AO(Hqrs.), Supdt.s of Admn., Technical, Adjn.,Vigilance
sections, PRO, JT**

- b. उच्चतर कार्यालयों को भेजी गयी रिपोर्टों को द्विभाषी बनाना / Making reports sent to
Higher offices bilingual :-

समिति को सूचित किया गया कि आयुक्तालय के स्थापना अनुभाग से मुख्य आयुक्त कार्यालय

जाने वाली सभी रिपोर्ट द्विभाषी बना दी गई है। साथ ही साथ अन्य अनुभागों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी सभी रिपोर्टों को भी द्विभाषी रूप में ही मुख्य आयुक्त कार्यालय को भेजें। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है कि भविष्य में भी इसे सख्ती से पालन किया जाए।

The Committee was informed that all the reports sent by the Establishment section to CC's office are made into bilingual form. It is requested that all other sections may also send their reports to CC's office in bilingual form. The Chairman directed that the same may be strictly followed in future too.

कार्रवाई : सभी अनुभाग

Action : All Sections

c. कैरली पत्रिका का प्रकाशन/ Publication of Kairali Magazine :

समिति को सूचित किया गया कि विभागीय पत्रिका कैरली -2016-17 प्रकाशित की गई है।

The Committee was informed that the departmental magazine 'Kairali' - 2016-17 has been published.

d. हिंदी पखवाड़ा समारोह -2017 / Hindi Fortnight Celebrations-2017.

समिति को सूचित किया गया कि दिनांक 25.09.2017 से 06.10.2017 तक आयुक्तालय में लेखा परीक्षा आयुक्तालय के साथ संयुक्त हिंदी पखवाड़ा मनाया गया।

The Committee was informed Joint Hindi Fortnight was celebrated in the Commissionerate along with Audit Commissionerate from 25.09.2017 to 06.10.2017.

e. बैठकों के कार्यवृत्त को द्विभाषी बनाना / Making minutes of the meetings bilingual :

समिति को सूचित किया गया कि तकनीकी बैठकों के सभी कार्यवृत्त हिंदी में भी जारी किए गए हैं। साथ ही साथ अन्य अनुभागों से अनुरोध किया गया कि अन्य सभी बैठकों के कार्यवृत्त भी इसी प्रकार द्विभाषी रूप में ही जारी करें। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है कि भविष्य में भी इसे सख्ती से पालन किया जाए।

The Committee was informed that all the Technical meeting minutes have been issued in Hindi too. It is requested that all other sections may also issue all other meeting minutes in bilingual form. The Chairman directed that the same may be strictly followed in future too.

कार्रवाई : सभी अनुभाग

Action : All Sections

II विविध/Miscellaneous :-

1. वार्षिक कार्यक्रम/Annual Programme :-

सभी सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम का सार दिए गए एवं अनुरोध किया गया कि इस में सूचित 55% हिंदी पत्रचार एवं 30% हिंदी टिप्पणी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयास करें।

Gist of the Annual programme was given to all the members and

requested to take efforts to fulfil the 55% Hindi correspondence and 30% Hindi noting targets mentioned in the Annual programme.

कार्रवाई : सभी अनुभाग

Action : All Sections

2. संसदीय राजभाषा समिति का राजभाषा निरीक्षण /Parliamentary Committee

Inspection on Official Language:-

समिति को सूचित किया गया कि दिनांक 13.10.2017 व 16.10.2017 को क्रमशः तृशूर मंडल व कोच्चि आयुक्तालय में संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण होने वाला है तथा सभी सदस्यों से अनुरोध किया गया कि संघ की राजभाषा नीति का पालन किया जाए।

The Committee was informed that the Parliamentary Committee on Official Language will be inspecting Thrissur Division and Kochi Commissionerate on 13.10.2017 and 16.10.2017 respectively and all members were requested to follow the Official Language policy of the Union.

सदस्यों से अन्य कोई सुझाव न होने पर अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक अपराह्न 03.30 बजे समाप्त हुई।

As no further suggestions came from the members the meeting ended at 03.30 pm with vote of thanks to the chair.



(अमरनाथ केसरी/ AMARNATH KESARI)

संयुक्त आयुक्त(का.व सत.)/ JOINT COMMISSIONER(P&V)